रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 1986/श्रावण 22, 1908
No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 1986/SRAVANA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का. आ. 488(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार/श्रेणी की चायों के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उपकर की दर को, 15 अगस्त 1986 से प्रभावी, अधिसूचित करती है ।

सारणी

चाय के प्रकार/श्रेणी	उपकर की दर
(1)	(2)
1. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जोन 3 में उत्पादित चायों के सिवाय सभी चायें	पन्द्रह पैसे प्रति किलो ग्राम
2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जोन 3 में उत्पादित चायें	आठ पैसे प्रति किलोग्राम

टिप्पण : केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जोन 3 से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिसूचना के अधीन परिभाषित किया गया है ।

[फा. सं. के. 11012(1)/86 प्लांट ए.]
डी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 13th August, 1986

NOTIFICATION

S.O. 488(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby notifies, with effect from the 15th day of August, 1986, the rate of cess as specified in column (2) of the Table below on the variety/grade of teas specified in column (1) of the said Table.

TABLE

Variety/grade of tea	Rate of cess
1	2
1. All teas except those produced in Central Excise Zone III.	Paise fifteen per kilogramme.
2. Teas produced in the Central Excise Zone III.	Paise eight per kilogramme.

Note: —Central Excise Zone III means the area as defined under the Central Excise Notification for the purposes of levy of excise duty.

[F. No. K-11012(1)/86-Plant 'A']
D.P. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986